न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (रा

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.4.23	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य राजकार्य मे तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 19.5.23 को पेश हो।	
19/5/23	पत्रावली पेश हुई। ... श्रीमान पी... /अन्य राजकार्य ... 14/6/23 को पेश हो।	
14.6.23	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य राजकार्य मे तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 25.7.23 को पेश हो।	
25-7-23	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप० है। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है बहस प्रा० पत्र सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 8-8-23 को पेश हो।	
8.8.23	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य राजकार्य मे तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 21.8.23 को पेश हो।	
21-8.23	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप० है। बहस [illegible] प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र [illegible] तथ्यों को दोहराया। तहसीलदार नैनवां से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक [illegible]/23 के अनुसार मौके पर उपस्थित व्यक्तियों	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.10.10 15:52:46 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (राज0)

हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	द्वारा बताया गया कि परिशिष्ट 'अ' में दर्शाये अनुसार रास्ते में से होकर प्रार्थीयान वर्षों से आते जाते रहे हैं, जिसे मौके पर पड़ोसी खातेदारों द्वारा खाई डोल लगाकर बंद कर दिया गया है। यह कि प्रार्थीयान द्वारा अपने खेत में पहुंचने के लिए एक वैकल्पिक रास्ता है जो ग्राम बालापुरा मे से होकर पड़ोसी खातेदारान की मेड़ मे से होकर आता जाता है, जिसमे आवागमन में लगभग 2 किमी० की दूरी तय करनी पड़ती है। यह कि चाहे गऐ रास्ते व खातेदारी भूमि के मध्य गै०मु० नाला निकला हुआ है, अतः सम्बन्धित विभाग की NOC ली जानी उचित होगी। हमने प्रा०पत्र, शपथ पत्र, रिकार्ड दस्तावेज तथा तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट का अवलोकन किया। बहस में वकील पक्षकारान द्वारा दिये गए तर्कों पर मनन किया। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है, जो लम्बा है। रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में धारा 251 'क' में स्पष्ट किया गया है कि रास्ता दिये जाने की अत्यधिक आवश्यकता सिद्ध होने तथा वैकल्पिक रास्ता या [illegible] न होने की स्थिति मे ही [illegible] रास्ता स्वीकृत किया जाना चाहिए तथा नवीन रास्ता जोत के मात्र सुविधाजनक उपयोग के लिये नही है। तहसीलदार नैनवां की	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.10.10 16:52:46 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज
	रिपोर्ट से यह सिद्ध होता है कि प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता दिया जाना परम आवश्यक नही है क्योंकि वैकल्पिक पहुंच मार्ग मौजूद है एवं गै० मु० नाला के सम्बन्ध मे NOC सम्बन्धित विभाग से नही ली गई है। अतः न्यायालय नवीन रास्ता कायम किया जाना परम आवश्यक नही समझता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' RT Act अस्वीकार किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
	उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.10.10 16:52:46 IST
Reason: SelfAttested